(वाद संख्या–5548/17)

22.10.2019

परिवादी, सुनैना देवी, अपने पुत्र रंजीत कुमार राम, के साथ उपस्थित हैं।

पुलिस अधीक्षक, सिवान से मांगा गया प्रतिवेदन अप्राप्त है।

उपस्थित परिवादी व उसके पुत्र को सुना।

परिवादी द्वारा अवैध रूप से अपने दूसरे पुत्र पंकज कुमार राम, को गोपालगंज जिला के मीरगंज थाना के पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने व उसे मुक्त करने हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को फैक्स द्वारा प्रसंगाधीन आवेदन दिया गया जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली से इस आयोग को प्राप्त हुआ।

परिवादी का कथन है कि विशाल कुमार पुत्र स्व0 बच्चा प्रसाद, ग्राम–मीरगज उत्तर मोहल्ला, वार्ड नं0–11, थाना मीरगंज, जिला गोपालगंज के मीरगंज थाना के थानाध्यक्ष को दिनांक–22.05.2017 को, मोवाईल से रंगदारी मांगने से संबंधित दिये गये लिखित आवेदन पर, मीरगंज थाना द्वारा मोवाईल संख्या–9006631356 के धारक व उक्त सिम के पंजीकृत स्वामी रामप्रीत राम के पुत्र व धारक पंकज कुमार राम (परिवादी के पुत्र) के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 387 एवं 504 के अन्तर्गत मीरगंज थाना कांड संख्या–138/17, दिनांक 22.05.2017 संस्थित किया गया तथा अनुसंधानोपरान्त प्राथमिकी उक्त अभियुक्त के पिता रामप्रीत राम को अनुत्प्रेषित दर्शाते हुए, प्राथमिकी अभियुक्त पंकज कुमार राम (परिवादी के पुत्र) के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 387 एवं 504 के अन्तर्गत आरोप–पत्र संख्या–214/18, दिनांक 12.08.2018 समर्पित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रसंगाधीन मामला वर्तमान में गोपालगंज स्थित व्यवहार न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण हेतु विचाराधीन है।

अब जबकि, परिवाद पत्र में उल्लेखित घटना को लेकर पुलिस द्वारा परिवादी के पुत्र पंकज कुमार राम के विरूद्ध आपराधिक मामला संस्थित किया जा चुका है तथा उक्त मामला एक सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन है तो, ऐसी परिस्थिति में

आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में कोई आदेश व निर्देश दिया जाना उचित नहीं है।

उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है। तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक